: :न्यायालयः–   न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला–झालावाड़ (राज.): :

पीठासीन अधिकारी	**:**	**श्रीमती लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्रकरण संख्या	**:**	**201/2018**
एफआईआर संख्या	**:**	**26/2018, पुलिस थाना भालता**

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला–झालावाड़ (राज.)

अभियोगी...

बनाम

1. कालू उर्फ रजाक पुत्र फकीर उम्र 42 साल निवासी पिंजारा मोहल्ला भालता पुलिस थाना भालता जिला झालावाड (राज0)

अभियुक्त.....

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 327 भा.दं.सं.

उपस्थितः–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2. श्री इन्द्रलाल गुप्ता, श्री रामअवतार गुप्ता विद्वान अधिवक्तागण, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय **दिनांकः– 6.05.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.01.18 को फरियादी श्री अनवर हुसैन पुत्र अजमेरी उम्र 39 साल निवासी मस्जिद वाली गली भालता ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 27.01.18 को समय करीब 07.30 पीएम की बात है। वह तथा गफ्फार भाई युनुस मोहम्मद सभी आबिद भाई की दुकान के सामने इमाम चौक में बैठे बाते कर रहे थे। वह आबिद भाई का आटो चलाता है। इतने में कालू उर्फ रज्ज़ाक पुत्र फकीर मोहम्मद आया तथा आते ही फरियादी के साथ गाली गलौच करने लगा और कहने लगा कि ''मुझे 500 रूपये दे''। फरियादी ने कहा कि ''पैसे किस बात के दू''। जिस पर कालू कहने लगा कि ''मैं यहा का दादा हूं, चुपचाप पैसे निकालकर दे दे, मेरे पहले के भी कितने ही मुकदमे चल रहे है''। इस पर फरियादी वहां से उठकर जाने लगा तो कालू उर्फ रज्ज़ाक ने उसके आडे फिरकर रोक लिया तथा उसके पास की कुल्हाडी की बासी की तरफ से पीठ पर मारी। इतने में उसके पास बैठे आबिद भाई, गफ्फार भाई, युनुस मोहम्मद, निजामुदीन ने उसका बीच बचाव किया।............इत्यादि।

2. उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 26/2018 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 327 भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त कालू उर्फ रज्ज़ाक के विरूद्ध धारा 341, 323, 504, 327 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में दिनांक 6–03–2018 को प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

3. अभियुक्त कालू उर्फ रज्ज़ाक के विरूद्ध धारा 341, 323, 504, 327 भा.दं.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

4. **अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची**

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम
पी.डब्ल्यू–1	रमेशचंद
पी.डब्ल्यू–2	अनवर हुसैन
पी.डब्ल्यू–3	अब्दुल गफफार
पी.डब्ल्यू–4	निजामुददीन
पी.डब्ल्यू–5	आबिद हुसैन
पी.डब्ल्यू–6	डॉ सत्येन्द्र

5. **अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची**

अभियोजन पक्ष

कमांक	प्रदर्श कमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	लिखित रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी 3	फर्द नक्शामौका
4.	प्रदर्श पी 4	फर्द गिरफतारी अभियुक्त कालू उर्फ रज्जाक
5.	प्रदर्श पी 5	आपराधिक रिकॉर्ड

6. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं

को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

7. बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)
निल	निल	निल

8. बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी6	पुलिस बयान अब्दुल गफफार
2	प्रदर्श पी7	पुलिस बयान निजामुददीन
3	प्रदर्श पी8	पुलिस बयान आबिद हुसैन

9. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

10. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

11. बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि–

1– क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 27–01–2018 को समय करीब 7 पीएम के लगभग ग्राम मौजा मस्जिद वाली गली, इमाम चौक,

पुलिस थाना भालता में परिवादी अनवर हुसैन को सदोष अवरोध कारित कर लोक शांति भंग करने के आशय से गाली गलौच कर परिवादी से 500 रुपये उददापित करने के लिए मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?

2– यदि हॉं, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

12. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय के समक्ष प्रकरण का मुख्य साक्षी स्वयं फरियादी अनवर हुसैन पीड–02 है, ने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब साल भर पहले शाम के 7.30 बजे वह, आबिद भाई की दुकान पर बैठा था। वहां पर निज़ामुदीन, यूनीस आदि लोग भी बैठे थे। उस समय वहां पर कालू उर्फ रज़ाक आया जिसने उससे 500 रूपये मांगे। उसने पैसे देने से मना किया तो कालू ने कहा कि ''मेरे पहले से बहुत से मुकदमे चल रहे है, मैं यहा का दादा हूँ मुझे 500 रूपये दे दे''। फिर उसने कुल्हाडी के हत्थे से पीठ पर मारी। निजाम आबिद भाई ने उसका बीच बचाव किया। उक्त घटना की थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी1, चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 व नक्शामौका प्रदर्श पी3 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसका मेडिकल मुआयना कराया था।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि शाम के 7.30 बजे की घटना है। आबिद भाई की दुकान के सामने वह बैठा हुआ था तथा बाते कर रहा था। वह चबूतरे पर बैठे हुए थे। मोहरम की चौकी के सामने चबूतरा है। कालू को वह पहले से जानता है। वह उसके गांव का है। कालू ने उससे पैसे क्यो मांगे उसे पता नही है। झगडे वाले रोज ही उन्होंने रिपोर्ट की थी। उसके कुल्हाडी के डंडे की एक ही चोट मारी थी। उसके हल्का सा खून आ गया था। उसने पेंट शर्ट पहन रखी थी। उसका बनियान खून में हो गया था तथा शर्ट खून में नही हुई थी। उसने पुलिस को बनियान बताया था लेकिन उन्होने जप्त क्यों नही किया इसका उसे पता नहीं है। उसके चोट मारी उस समय वह बैठा हुआ था। यूनिस गफार उसके रिश्तेदार नहीं है उसके समाज के है। उसके पुलिस में बयान हुए थे। इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने उससे कहा कि वह पुलिस को फोन लगाता है। रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में ''वह उठकर जाने लगा......रोक लिया'' ई से एफ भाग गलत लिखा हुआ है। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसका किसी ने बीच बचाव नहीं किया हो।

13. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 3 अब्दुल गफफार ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब साढे पांच साल पहले शाम के 7.30 बजे वह

और निजामुदीन, आबिद हुसैन, आबिद भाई की दुकान के सामने ईमाम चौक में बैठकर बाते कर रहे थे। उसके सामने अनवर हुसैन के साथ गाली गलोच और मारपीट नही हुई। उसके सामने अनवर हुसैन से किसी ने 500 रूपये नही मांगे और न ही अनवर हुसैन के साथ उसके सामने मारपीट हुई। उसने बीच बचाव भी नही किया। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस ने उसके बयान नही लिये थे। इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 27.01.2018 को शाम के 7.30 बजे वह अनवर हुसैन, युनुस, निजामुदीन और आबिद हुसैन सभी ईमाम चौक में बैठे बाते कर रहे थे इतने में कालू उर्फ रजाक आया हो और उसने आते ही अनवर हुसैन के साथ गाली गलोच की और कहा हो कि ''मुझे 500 रूपये दे''। इस सुझाव से इन्कार किया कि अनवर हुसैन ने कहा हो कि ''पैसे किस बात के दू तो कालू उर्फ रजाक ने कहा हो कि मै यहां का दादा हू चुपचाप पैसे निकाल कर दे दे''।इस सुझाव से इन्कार किया कि अनवर उठकर जाने लगा तो कालू उर्फ रजाक ने उसे रोककर कुल्हाडी की बांसी की पीठ पर अनवर के मारी हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि उन्होंने अनवर का बीच बचाव कराया हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि कालू उर्फ रजाक ने दादागिरी करके रूपये मांगे हो और नही देने पर अनवर के साथ मारपीट की हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का ए से बी भाग गलत है उसने नही लिखाया। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त ने जिरह नही करना जाहिर किया।

14. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 4 निजामुददीन ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब साढे पांच साल पहले शाम के 7.30 बजे वह, और गफ्फार, आबिद हुसैन, आबिद भाई की दुकान के सामने ईमाम चौक में बैठे बाते कर रहे थे। उसके सामने अनवर हुसैन के साथ गाली गलोच और मारपीट नही हुई। उसके सामने अनवर हुसैन से किसी ने 500 रूपये नहीं मांगे और न ही अनवर हुसैन के साथ उसके सामने मारपीट हुई। उसने बीच बचाव भी नही किया। उसके सामने पुलिस ने मौके की लिखापढी नही की। नक्शामौका प्रदर्श पी 3 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 27.01.2018 को शामे के 7.30 बजे वह, अनवर हुसैन, युनुस, गफ्फार, और आबिद हुसैन सभी ईमाम चौक में बैठे बाते कर रहे थे इतने में कालू उर्फ रजाक आया हो और उसने आते ही अनवर हुसैन के साथ गाली गलोच की और कहा हो कि ''मुझे 500 रूपये दे''। इस सुझाव से इन्कार किया कि अनवर

हुसैन ने कहा हो कि ''पैसे किस बात के दू तो कालू उर्फ रजाक ने कहा हो कि मैं यहां का दादा हू चुपचाप पैसे निकाल कर दे दे''। इस सुझाव से इन्कार किया कि अनवर उठकर जाने लगा तो कालू उर्फ रजाक ने उसे रोककर कुल्हाडी की बांसी की पीठ पर अनवर के मारी हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि उन्होंने अनवर का बीच बचाव कराया हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि कालू उर्फ रजाक ने दादागिरी करके रूपये मांगे हो और नही देने पर अनवर के साथ मारपीट की हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 7 का ए से बी भाग गलत है उसने नही लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसके सामने पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 3 बनाया हो और इसी बात के प्रदर्श पी 3 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर कराये हो। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त ने जिरह नही करना जाहिर किया।

15. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 5 आबिद हुसैन ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि करीब साढे पांच साल पहले शाम के 7.30 बजे वह और गफ्फार, निजामुदीन, आबिद भाई की दुकान के सामने ईमाम चौक में बैठे बाते कर रहे थे। उसके सामने अनवर हुसैन के साथ गाली गलोच और मारपीट नही हुई। उसके सामने अनवर हुसैन से किसी ने 500 रूपये नही मांगे और न ही अनवर हुसैन के साथ उसके सामने मारपीट हुई। उसने बीच बचाव भी नही किया। उसके सामने पुलिस ने मौके की लिखापढी नही की। नक्शामौका प्रदर्श पी 3 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने यह कथन किया कि पुलिस ने उसके बयान नही लिये थे। इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 27.01.2018 को शामे के 7.30 बजे मै अनवर हुसैन, युनुस, निजामुदीन और आबिद हुसैन सभी ईमाम चौक में बैठे बाते कर रहे थे इतने में कालू उर्फ रजाक आया हो और उसने आते ही अनवर हुसैन के साथ गाली गलोच की और कहा हो कि ''मुझे 500 रूपये दे''। इस सुझाव से इन्कार किया कि अनवर हुसैन ने कहा हो कि ''पैसे किस बात के दूं तो कालू उर्फ रजाक ने कहा हो कि मैं यहां का दादा हू चुपचाप पैसे निकाल कर दे दे''। इस सुझाव से इन्कार किया कि अनवर उठकर जाने लगा तो कालू उर्फ रजाक ने उसे रोककर कुल्हाडी की बांसी की पीठ पर अनवर के मारी हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने अनवर का बीच बचाव कराया हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि कालू उर्फ रजाक ने दादागिरी करके रूपये मांगे हो और नहीं देने पर अनवर के साथ मारपीट की हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग गलत है उसने नही लिखाया। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसके सामने पुलिस ने घटना स्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 3 बनाया हो और

इसी बात के प्रदर्श पी 3 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर कराये हो। जिरह का अवसर दिए जाने पर भी अधिवक्ता अभियुक्त ने जिरह नही करना जाहिर किया।

16. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 6 डॉ सत्येन्द्र ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 28.01.2018 को सीएचसी अकलेरा पर एसएमओ के पर कार्यरत था। उस दिन थाना भालता के प्रतिवेदन पर मजरूब अनवर हुसैन पुत्र अजमेरी मंसूरी उम्र 39 साल निवासी भालता के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना जिसमें निम्न चोटे थी। चोट संख्या 1 नीलगू 5 गुणा 2 सेमी पीठ पर, चोट संख्या 2 खरोच 1 गुणा 1/2 सेमी बाये हाथ के अंगूठे में थी। उक्त दोनों चोटें कुंद हथियार से कारित व साधारण प्रकृति की थी। चोट की अवधि 12 घंटे की भीतर की थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उक्त दोनों चोटें आपसी धक्का मुक्की में पीठ के बल गिरने से आ सकती है।

17. इस संबंध में न्यायालय के समक्ष पीड 1 रमेशचंद ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयानों में यह कथन किया कि दिनांक 27.1.18 को पुलिस थाना भालता में इंचार्ज थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन फरियादी श्री अनवर हुसैन ने उसके समक्ष उपस्थित होकर तहरीरी रिर्पोट पेश की। रिर्पोट से से मामला धारा 341,323,504,327 भा०द०स० का बनना पाये जाने पर मुकदमा नंबर 26/18 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। तहरीरी रिर्पोट प्रदर्श पी1 पर ए से बी फरियादी के व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी2 पर ए से बी फरियादी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी3 है जिस ए से बी उसके व सी से डी फरियादी के हस्ताक्षर है। बयान फरियादी अनवर उर्फ रज्ज़ाक हुसैन, अब्दुल निजामुदीन, आबिद हुसैन, युनिस मोहम्मद उनके कहनुसार लेखबद्ध किये। अनवर हुसैन का मेडिकल गुआयान कराया जाकर चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया। अभियुक्त कालू उर्फ रज्ज़ाक के विरूद्ध धारा 341.323,504,327 भा०द०स० का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर जरिए फर्द प्रदर्श पी4 से गिरफतार किया जिस पर ए से बी उसके व सी से डी रज्ज़ाक के हस्ताक्षर है। अभियुक्त रज्ज़ाक का आपराधिक रिकोर्ड प्रदर्श पी5 शामिल पत्रावली किया। बाद अनुसंधान पत्रावली एस एच ओ साहब को सुपुर्द कर दी थी जिन्होने बाद कता चार्जशीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश की। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त से कोई कुल्हाडी बरामद नही की। नक्शामोका बनाया उसमे वाकाये वारदात पर कोई खून के निशान नही थे।

18. उपरोक्त समस्त बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि फरियादी अनवर हुसैन ने लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में यह अंकित करवाया है कि दिनांक 27/01/2018 को समय करीब 7:30 बजे वह तथा गफ्फर भाई, यूनुस मोहम्मद सभी आबिद भाई की दुकान के सामने इमाम चौक में बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में कालू उर्फ रज़ाक आया तथा उसने उसके साथ गाली–गलौच की और कहने लगा कि 500 रुपये दे। जिस पर कालू उर्फ रज़ाक ने उसे जाते हुए को रोककर उसके पास की कुल्हाड़ी की बासी की तरफ से उसके पीठ पर मारी। आबिद भाई, गफ्फार भाई, यूनुस मोहम्मद, निजामुद्दीन ने उसका बीच बचाव किया। इस संबंध में प्रकरण का फरियादी अनवर हुसैन पीडब्ल्यू 2 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि करीब साल भर पहले शाम के 7:30 बजे वह आबिद भाई की दुकान पर बैठा था। जहां पर निजामुद्दीन और यूनुस आदि लोग भी बैठे थे। जहां कालू उर्फ रज़ाक आया जिसने उससे 500 रुपये मांगे तथा उसने कुल्हाड़ी के हत्थे से उसके पीठ पर मारी। निजाम, आबिद भाई ने उसका बीच बचाव किया। ऐसे में उक्त गवाह मुख्य परीक्षण में आबिद भाई की दुकान पर घटना घटित होना बताता है। इस संबंध में नक्शामौका प्रदर्श पी3 का अवलोकन करे तो एक्स स्थान वह स्थाना बताया गया है जहा घटना घटित होना बताया गया है जिस पर सी से डी फरियादी के हस्ताक्षर है। उक्त् नक्शे मौके में ई स्थान पर आबिद भाई की दुकान को दर्शाया गया है जो एक्स स्थान से कुछ दूरी पर है। ऐसे में लिखित रिपोर्ट एवं न्यायालय के समक्ष हुए बयानों में विरोधाभास नजर आता है। गवाह ने यह भी कथन किया है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी1 में ''वह उठकर जाने लगा........रोक लिया'' इ से एफ भाग गलत लिखा हुआ है। ऐसे में उक्त गवाह के बयानों में विरोधाभास प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त गवाह अब्दुल गफ्फार पीडब्ल्यू 3 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वह, निजामुद्दीन, आबिद हुसैन, आबिद भाई की दुकान के सामने इमाम चौक में बैठे हुए थे। उसके सामने अनवर हुसैन के साथ गाली–गलौच और मारपीट नही हुई। अनवर हुसैन से किसी ने 500 रुपये नहीं मांगे तथा ना ही उसके साथ किसी ने मारपीट की। गवाह ने यह भी कथन किया कि उसने बीच बचाव नहीं किया। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 27/01/2018 को शाम 7:30 बजे वह, अनवर हुसैन, यूनुस, निजामुद्दीन और आबिद सभी इमाम चौक में बैठकर बातें कर रहे थे जहां पर कालू उर्फ रज़ाक आया और आते ही उसने अनवर के साथ गाली–गलौच की हो और उसे 500 रुपये देने को कहा हो। गवाह ने सुझाव से भी इंकार किया है कि अनवर जब उठकर जाने लगा तो कालू ने उसे रोक लिया और

कुल्हाड़ी की बासी की उसके पीठ पर मारी हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी6 का ए से बी भाग गलत लिखा होने का भी कथन किया गया है। इस संबंध में गवाह निजामुद्दीन पीडब्ल्यू 4 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित होकर अपने मुख्य परीक्षण में गवाह अब्दुल गफ्फार पीडब्ल्यू 3 के बयानों की ताईद कर यह कथन करता है कि उसके सामने अनवर हुसैन के साथ गाली–गलौच और मारपीट नहीं हुई थी तथा ना ही अनवर से किसी ने 500 रुपये मांगे थे और ना ही उसके सामने मारपीट हुई थी। गवाह ने उनका बीच बचाव नहीं किया। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 27/01/2018 को शाम 7:30 बजे वह, अनवर हुसैन, यूनुस, गफ्फार आदि आबिद हुसैन सभी इमाम चौक में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां कालू आया और उसने आते ही अनवर के साथ गाली–गलौच की और 500 रुपये मांगे। गवाह ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि अनवर उठकर जाने लगा तो कालू ने उसे रोककर कुल्हाड़ी की बासी की उसके पीठ पर मारी। पुलिस बयान प्रदर्श पी7 का ए से बी भाग गलत लिखा होना भी बताया गया है। गवाह पीडब्ल्यू 5 आबिद हुसैन ने गवाह पीडब्ल्यू 3 अब्दुल गफफार व गवाह निजामुद्दीन पीडब्ल्यू 4 के बयानों की ताईद करते हुए यह कथन किया है कि उसके सामने अनवर हुसैन के साथ गाली–गलौच और मारपीट नहीं हुई थी। अनवर हुसैन से किसी ने 500 रुपये नहीं मांगे। उसने कोई बीच बचाव नहीं किया। गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 27.1.2018 को शाम के 7:30 बजे वह, अनवर हुसैन, यूनुस, निजामुद्दीन और आबिद हुसैन सभी इमाम चौक में बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में कालू आया और आते ही अनवर हुसैन के साथ गाली–गलौच करा और 500 रुपये मांगे हो। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अनवर जब उठकर जाने लगा तो कालू ने उसे रोककर कुल्हाड़ी की बासी की पीठ पर मारी हो। इस संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 1 रमेश चंद्र है, जो प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त से कोई भी कुल्हाड़ी बरामद नहीं की थी।

19. उपरोक्त समस्त बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि फरियादी अनवर हुसैन के बयानों में विरोधाभास प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 3 अब्दुल गफ्फार, पीडब्ल्यू 4 निजामुद्दीन, पीडब्ल्यू 5 आबिद हुसैन हैं जिन्हें फरियादी द्वारा उसके साथ मारपीट करने पर उसका बीच बचाव करना बताया गया है। उक्त गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अपने बयानों में उनके सामने फरियादी अनवर हुसैन के साथ

गाली–गलौच व मारपीट करने तथा उससे किसी के द्वारा 500 रुपये मांगे जाने का कथन नहीं किया है। पीडब्ल्यू 3 अब्दुल गफ्फार, पीडब्ल्यू 4 निजामुद्दीन, पीडब्ल्यू 5 आबिद हुसैन द्वारा ऐसे कोई भी बयान नहीं दिए गए हैं जिससे यह माना जा सके कि अभियुक्त द्वारा परिवादी अनवर हुसैन को सदोष अवरोध कारित कर लोक शांति भंग करने के आशय से गाली गलौच कर परिवादी से 500 रुपये उददापित करने के लिए मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। साथ ही अभियुक्त से कोई हथियार जप्त नही किया गया है।

20. विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के संबंध में संदेह से परे मामला साबित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध समग्र सामग्री एवं समस्त गवाहन के बयानों के अवलोकन सें अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 27–01–2018 को समय करीब 7 पीएम के लगभग ग्राम मौजा मस्जिद वाली गली, इमाम चौक, पुलिस थाना भालता में परिवादी अनवर हुसैन को सदोष अवरोध कारित कर लोक शांति भंग करने के आशय से गाली गलौच कर परिवादी से 500 रुपये उददापित करने के लिए मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ।

21. अतः अभियुक्त कालू उर्फ रज्जाक पुत्र फकीर उम्र 42 साल निवासी पिंजारा मोहल्ल भालता पुलिस थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 341, 323, 504, 327 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

22. अतः **अभियुक्त कालू उर्फ रज्जाक पुत्र फकीर उम्र 42 साल निवासी पिंजारा मोहल्ल भालता पुलिस थाना भालता जिला झालावाड (राज०) पर आरोपित अपराध धारा 341, 323, 504, 327 भा.दं.सं. के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।**

23. आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में अपील/रिविजन में उपस्थित रहने के लिए **धारा 437 ए दं.प्र.सं के तहत 10,000/–रुपये की एक जमानत व इसी कदर राशि का स्वंय का मुचलका** न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे। अभियुक्त के नियमित हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला–झालावाड़ (राजस्थान)

24. निर्णय आज दिनांक 6-05-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा,
जिला—झालावाड़ (राजस्थान)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

साक्षी चावला
स्टेनो ग्रेड–III

नोटः–यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।

jmcrimsteno

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.08 09:53:32 IST